कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 3547 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर,दिनांक,जनवरी 29, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन) रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तान्तरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षो (दिनांक 09.02.2016 से 08.02.2041तक) के लिये नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/59/2019/एफ0सी0/244 दिनांक 14.08.2019 एवं उ0प्र0, शासन का पत्रांक–131/81–2–2019–145 (233)/64 दिनांक 27.09.2019 तथा आपका पत्रांक–1136/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्समिशन/18048/2016 दिनांक 06.12.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दु की कमियॉ / अभिलेखो के निराकरण कर तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक–2519/रेनुकूट/15–28 दिनांक 22.01.2020 द्वारा प्रश्नगत मामले में उल्लिखित बिन्दु की आख्या टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया हैः–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र सं0–1136/ 11–सी– एफ0पी0 / यू0पी0 / ट्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक 06.12.2019 द्वारा लगायी गयी आपत्तियो का विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–2 के निराकरण के कम में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की 1:50000माप की रंगीन सत्यापित टोपोशीट संलग्न की गयी है, किन्तु ऑन लाईन पार्ट–1 में प्रस्तावित वन भूमि की फुल रंगीन सत्यापित टोपोशीट तथा ऑन लाईन पार्ट–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की फुल रंगीन सत्यापित टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑन लाईन पार्ट–1 में प्रस्तावित वन भूमि की फूल रंगीन सत्यापित टोपोशीट तथा ऑनलाईन पार्ट–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की फुल रंगीन सत्यापित टोपोशीट को अपलोड कराते हुए सी0डी0 संलग्न है।
2	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–5 के निराकरण के कम में भारत सरकार की गाईडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लघंन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0बी0 की गणना एवं दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किये गये है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लघंन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु प्रस्तावक कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी वचनबद्धता सत्यापित करते हुए संलग्न है। प्रश्नगत प्रकरण में कोई अधिकारी/ कर्मचारी दोषी न होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित बिन्दुवार आख्या तीन प्रतियो में एतद्सह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3547 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्रांक–2519/रेनुकूट/15–28 दिनांक 22.01.2020 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29.01.20

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर